न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–835 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–1921 / 2026

(CNR UPLP 0100 4386-2026)

सेठ उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम बीबीपुर, थाना इमलिया सुल्तानपुर, जिला सीतापुर (उ0प्र0)

.....प्रार्थी / अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य .....अभियोगी।

मु0अपराध संख्या–176 / 2025,
धारा 305(ए), 331(4) बी0एन0एस0,
थाना नीमगांव, जिला लखीमपुर खीरी।

16.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी / अभियुक्त सेठ की ओर से मु0अपराध संख्या–176 / 2025, धारा 305(ए), 331(4) बी0एन0एस0, थाना नीमगांव, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि प्रार्थी / अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी उमेश कुमार द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 13.05.2025 को इस आशय की तहरीर दी गयी कि बीती रात उसके घर के पीछे बनी कालोनी की तरफ से कमरे की दीवार मे सेंध लगाकर अज्ञात चोरों द्वारा घर में घुस कर सोने चांदी के जेवर जिसमें 3 चैन सोने की, एक हार, एक झाला, एक जोड़ी झुमकी, 8 अगूॅठी, एक कंढ़ी, एक जोड़ी कंगन, एक मांग बेदी, दो जोड़ी जेवरी, दो कमर बिछुआ, एक जोड़ी पायल चांदी की, दो मंगलसूत्र, 12 चांदी के सिक्के, करीब 60 हजार नगदी, 5 पचहड़ तथा दो साड़ियां, 12 बोर के 15–20 कारतूस चोरी कर ले गए। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अज्ञात चोर के विरूद्ध उक्त

मुकदमा धारा 305, 331(4) बी0एन0एस0, पंजीकृत किया गया तथा दौरान विवेचना धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

4— प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि वह दिनांक 22.05.2026 से कारागार मे निरूद्ध है। घटना की रिपोर्ट अत्यन्त विलम्ब से अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी है, विलम्ब का कारण व चोरी किये गये जेवरात की रसीद दाखिल नहीं है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद नहीं है और न ही उसके पास से कोई बरामदगी हुई है। सह–अभियुक्तगण की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। वह सर्वथा निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने को तैयार है और अपनी जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर में घुस कर जेवरात की चोरी की गयी है, जिसकी बरामदगी भी प्रार्थी/अभियुक्त के पास से हुई है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रश्नगत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी थी, अर्थात प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। प्रश्नगत घटना के लगभग एक साल बाद दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 22.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सह–अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में स्वीकार की जा चुकी है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व का

आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8— अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण—दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त सेठ द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को 75,000/—रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1—प्रार्थी मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

2—प्रार्थी विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

3—प्रार्थी अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

4—माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन—जी—2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0 2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थी के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।
16.06.2026